

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/803

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिणे व भू.अ.नि. धारणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, अन्नपूर्णा नगर सरपंच का पमाण पत्र। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र.सं | ग्राम | खसरा संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|----------------|-------------------------|--|--|
| 01 | अन्नपूर्णा नगर | 169, 236, 3, 4, 77, 78. | नाबालिग भाकरशम पुत्र करनाराम सरदेशक सरपंच शांती देवी | विक्रम कुमार उर्फ भाकरशम पुत्र करनाराम |

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोट)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/14
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 11.10.2025

1. तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण विक्रम कुमार पुत्र करनाराम जाति मेधवाल निवासी अन्नपूर्णा तहसील सिवाना/समदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

